न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 20/2018/अपील

भगवान सहाय पुत्र भींवाराम, जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 03, इन्द्रा आवास कॉलोनी पिपराली, तहसील व जिला सीकर राज.। अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील व जिला –सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री भवानी सिंह अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 02.04.2018 द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 25 नवम्बर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की आराजी राजकीय भूमि खसरा नम्बर 5205/479 रकबा 3.76 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर में किस्म चारागाह अल्प भूमि पर अपीलान्ट का बतौर अतिक्रमी कब्जा बताकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय गलत, विरूद्व तथ्य विपरीत पत्रावली है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज पट्टा संख्या 151 दिनांक 05.01.1985 आदि का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का ने झूंठी व गलत रिपोर्ट पेश की है।

(4) अपीलान्ट के पास ग्राम पंचायत पिपराली द्वारा पट्टा जारी किया गया है, जो अपीलान्ट के कब्जे का ठोस सबूत है साथ ही अपीलान्ट ने पट्टे के आधार पर अपने मकानात में बिजली का कनक्शन ले रखा है, जिसमें परिवार सहित आवास व निवास कर रहा है। अपीलान्ट के पास उपरोक्त मकानात के अलावा अपने तथा अपने परिवार के आवास व निवास की कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.04.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज पट्टा संख्या 151 दिनांक 05.01.1985 आदि का अवलोकन किये बिना ही केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश पारित किया है। अपीलान्ट के पास ग्राम पंचायत पिपराली द्वारा पट्टा जारी किया गया है, जो अपीलान्ट के कब्जे का ठोस सबूत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.04.2018 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निर्णय बिना तथ्यों का परीक्षण किये पारित किया गया दृष्टिगत होता है। पूर्व में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही और इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति पिपराली द्वारा जारी पत्र के आधार पर यदि संलग्न नजरी नक्शा को देखा जाये तो इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त दर्शाया गया अतिक्रमण किसी नियोजित योजना का हिस्सा है। इस बाबत सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में कोई परीक्षण/विवेचन नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला इस बिन्दु पर आधारित है कि पूर्व में उक्त भूमि पर इन्दिरा आवास योजना राजकीय भूमि को नियमन/राजकीय भूमि पर राजकीय नियमों के अन्तर्गत योजना सृजन की कार्यवाही की गई थी अथवा नहीं।

6. अतः प्रकरण तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण परीक्षण कर सम्बन्धित राजकीय विभागों की समस्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर **एक माह** के भीतर निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक : 25 **नवम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yagya Mitra Singhdeo
Date: 2019.12.02 15:16:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: